

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 202

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2023-02068

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "कलिंदी कुंज प्राईड", प्रमोटर-के.एल. रियल एस्टेट प्रा.लि., द्वारा-
श्री बजरंग लाल जिंदल, पता-जिंदल हाउस, डबरा रोड, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-" कलिंदी कुंज प्राईड ", पता-छतमुड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/03/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति राशि 5,000/- चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय मद में जमा कर मूल चालान कार्यालय में जमा किया जा चुका है। प्रकरण में चालान की छायाप्रति संलग्न किया गया।</p> <p>प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं है। अनावेदक को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न किया जावे चेतावनी देते हुये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>